भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1576

(दिनांक 12.12.2023 को उत्तर देने के लिए)

सरोगेट विज्ञापन

1576. श्री सैय्यद ईमत्याज जलीलः

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय को ज्ञात है कि तम्बाकू और शराब जैसे निषिद्ध उत्पादों का निर्माण करने वाली कम्पनियां ब्रॉड एक्टेंशन के रूप में जो विधि के तहत मान्य है, सरोगेट विज्ञापन दे रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मंत्रालय ने क्रिकेट वर्ल्ड कप, 2023 के मैच के प्रसारण के दौरान किसी सरोगेट विज्ञापन का संज्ञान लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और मंत्रालय द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

सूचना और प्रसारण; और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री

(श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) से (घ): प्राइवेट सैटेलाइट टीवी चैनलों पर प्रसारित विज्ञापनों के लिए केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत निर्धारित विज्ञापन संहिता का पालन करना आवश्यक है। उपर्युक्त संहिता में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि ऐसे किसी विज्ञापन को अनुमति नहीं दी जाएगी जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सिगरेट, तंबाकू उत्पादों, वाइन, अल्कोहल, शराब या अन्य मादक पदार्थों के उत्पादन, बिक्री या खपत को बढ़ावा देता हो। कोई उत्पाद जो ऐसे उत्पादों के ब्रांड नाम तथा लोगो का उपयोग करता है, उसे कुछ शर्तों के अध्यधीन विज्ञापित किया जा सकता है, जिसमें केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) द्वारा विज्ञापन का प्रमाणन भी शामिल है।

मंत्रालय भी समय-समय पर सभी प्राइवेट सैटेलाइट टीवी चैनलों को विज्ञापन संहिता का पालन करने के लिए एडवाइजरी जारी करता है।

सरकार का विज्ञापन संहिता संबंधी उल्लंघन के मामले में कार्रवाई करने के लिए एक संस्थागत तंत्र है जिसमें एडवाइजरी, चेतावनी, अपोलॉजी स्क्रॉल आदेश, ऑफ एयर आदेश, आदि जारी करना शामिल है।

उपभोक्ता मामलें मंत्रालय के तहत केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने दिनांक 09 जून, 2022 की अधिसूचना द्वारा "भ्रामक विज्ञापनों का निवारण और भ्रामक विज्ञापनों के लिए पृष्ठांकन मार्गदर्शक सिद्धांत, 2022" जारी किए हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ बच्चों को लक्षित करने वाले विज्ञापनों, कानून द्वारा निषिद्ध विज्ञापन और विज्ञापनों के समर्थनकर्ताओं द्वारा सम्यक तत्परता बरतने के संबंध में अनुपालन किए जाने हेतु शर्तें निर्धारित की गई हैं।

****